



1	2	3
<p>11-8-18</p>	<p style="text-align: center;">पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय अन्तर्गत उप समाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।</p> <p style="text-align: center;">मुटेशन अपील वाद सं०-02/2012-13</p> <p style="text-align: center;">बीबी मोमीना खातून-बनाम-झारखंड सरकार वगैरह</p> <p style="text-align: center;">अपीलार्थी</p> <p style="text-align: center;">बीबी मोमीना खातून, पति-सुलेमान शेख, सा०-लालबथानी थाना-साहेबगंज (मु०) जिला-साहेबगंज।</p> <p style="text-align: center;">विपक्षी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. झारखंड सरकार 2. अंचल अधिकारी, साहेबगंज 3. 16/आना रैयत, मौजा-मखमलपुर। <p style="text-align: center;">--आदेश--</p> <p>प्रस्तुत वाद की कार्यवाई अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक-27.09.2012 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज के नामान्तरण वाद के आदेश तिथि-29.02.2012 वाद सं०-662/2011-12 के विरुद्ध मामला प्रारंभ की गयी। संबंधित मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, साहेबगंज से मांग की गयी तथा उभय पक्ष को अपने-अपने पक्ष/साक्ष्य रखने हेतु नोटिश जारी किया गया।</p> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को गलत एवं नियमानुकूल नहीं होने का तर्क देते हुए कहा कि मुटेशन आवेदन दाखिल होने के उपरांत राजस्व कर्मचारी ने गलत एवं तथ्यविहिन जांच प्रतिवेदन दाखिल किये हैं। उक्त गलत एवं तथ्यविहिन जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी के द्वारा मुटेशन आवेदन को गलत ढंग से खारिज किया है।</p> <p>मुटेशन वाद में मौजा-मखमलपुर (असर्वेक्षित) जमाबन्दी नं० (खाता नंबर) 38 की रकवा-03.12.15 धूर जमीन शामिल है। उक्त जमीन भू स्वामी उमेदुल्ला के नाम से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जमीन को अपीलकर्ता के खरीदने के बाद से शांतिपूर्ण भोग दखल में है। उक्त जमीन को अपीलकर्ता को भू स्वामी नें बिक्री केवाला सं०-6467/दिनांक-13.02.1981 से बेचे हैं भू स्वामी का उक्त वर्णित जमीन निर्विवाद एवं भारविहिन है। भू स्वामी के उक्त जमीन पर अन्य किसी भी व्यक्ति या रिशतेदार का कोई हक दावाधिकार नहीं है। 16/आना रैयतों द्वारा भू स्वामी के वर्णित जमीन का बिक्री हेतु कोई विरोध नहीं किया है।</p> <p>यह पाया गया कि अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। आवेदक अपना पक्ष नहीं रख पायें।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी साहेबगंज Mutation Cas# No-662/2011-12 को विधिवत, आवेदक को अपना पक्ष रखने का मौका दे एवं सुनवाई के साथ आदेश अंकित करें। पुनः सुनवाई हेतु अंचलाधिकारी साहेबगंज को आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>उप समाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>उप समाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।</p> </div> </div>	<p>आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी ता० सहित</p>

સાધારણ 351/સી.સી. માટેના, તારીખ 14.8.18

પરિણામ : અધિકારીઓ, માટેના નીચેના
બંધ આગ્રહના ભારતીય રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટ

માગ્યો

1. અધિકારીઓ માટેના પરિણામ
2. સામાન્ય વહીવટી - 662/2011-12-ની નીચેના આગ્રહના
ક્રમ - 08 માટેના નીચેના પરિણામ

સહી
અધિકારીઓ માટેના
14.8.18
માટેના

16.7